


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल
ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा, (म.प्र.)



10

57-II/16

मो0 मजीद पिता श्री रसूल वक्स असारि, निवासी ग्राम- कुनझुन, तहसील- बहरी,
जिला- सीधी (म.प्र.) _____ निगरानीकर्ता

बनाम

1. मो0 रहमतुल्ला वक्स पिता श्री रसूल वक्स अन्सारी निवासी ग्राम- कुनझुन,
तहसील- बहरी, जिला- सीधी (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन _____ अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

श्री. रसूल वक्स असारि
द्वारा आज दिनांक 28-3-16
प्रस्तुत किया गया।
एड के
सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर
सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 7/निगरानी
/2015-16 में पारित आदेश दिनांक-
22.01.2016 से व्यथित होकर।


पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू-
राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण निम्नांकित तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि अनावेदक द्वारा उक्त राजस्व प्रकरण माननीय न्यायालय
अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में विचाराधीन था जो दिनांक- 24.04.2013 को
अदम पैरवी में निरस्त हो गया जिसकी जानकारी अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता को
भलीभांति थी तथा उक्त प्रकरण लड़ने की रुचि गैरनिगरानीकर्ता को नहीं थी कि

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल
ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा, (म.प्र.)



10

RS157-II/16

मो० मजीद गिता श्री जयल तन्म अजगरी नितासी गाम- कुनडुन तहसील- बहरी

- माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक- 27-2-2018 मुपाविक से शोधन किया गया/ (रक्षित विवारी रड- 27-2-18)
1. गुलजार वरुण पिता - स्व. मो. मजीद
 2. मोहम्मद गुलशेर पिता स्व. मो. मजीद
 3. अब्दुल हुसैन पिता स्व. मो. मजीद
- तीनों निवासी ग्राम - कुनडुन, तहसील-बहरी, जिला-सीधी

2. मध्यप्रदेश शासन

— अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

श्री. रमेश तिवारी एड के
द्वारा आज दिनांक 28-3-16
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
मर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 7/निगरानी /2015-16 में पारित आदेश दिनांक- 22.01.2016 से व्यथित होकर।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण निम्नांकित तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि अनावेदक द्वारा उक्त राजस्व प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में विचाराधीन था जो दिनांक- 24.04.2013 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया जिसकी जानकारी अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता को भलीभांति थी तथा उक्त प्रकरण लड़ने की रुचि गैरनिगरानीकर्ता को नहीं थी कि एकाएक गैरनिगरानीकर्ता के हृदय में परिवर्तन आया और दिनांक- 14.10.14 को एक

60

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक नि.ग.- 5157 - म/16

जि.सि. - सी.सी.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---------------------------------------|
| 06/2/19 | <p>इस प्रकरण में दिनांक 21/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <u>चक्रवर्ती सी.सी.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>7/नि.ग.-2015-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22-01-2016</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>29/11/2019</u> को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">भा.पु.न. सदस्य 6/2/19</p> | |